पावरग्रिड
POWERGRID

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED
(A Government of India Enterprises)

संदर्भ: पावरग्रिड/उ. क्षे.–3/आर०टी०आई०/ 04

दिनांक: 01.09.2022

सेवा में,
श्री जय सिंह
पुत्र श्री ओमप्रकाश सिंह
ग्राम व पोस्ट चण्डेश्वर
जिला आजमगढ़ – 276128
मो०नं० 9453258485

विषय: जन सूचना अधिकार के संबंध में आपके पत्र दिनांक 20.08.2022 के संदर्भ में।

महोदय,

आपके द्वारा जन सूचना अधिकार अधिनियम –2005 के अंतर्गत मांगी गयी जानकारी का पत्र दिनांक 20.08.2022, क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ को दिनांक 23.08.2022 को प्राप्त हुआ है । इस सन्दर्भ में मांगी गई बिन्दुवार जानकारी निम्नवत है :-

मांगी गयी जानकारी	दी गयी जानकारी
1. क्या पावर ग्रिड मे सभी कार्यों मे जिसमे विलंब होता है एल० डी० लागू किया जाता है | चाहे उसमे पावर ग्रिड का कोई नुकसान नहीं हो फिर भी पेनाल्टी की तरह एल० डी० क्लाज का प्रयोग होता है ?	पावरग्रिड मे संविदा मे निहित प्रावधानो के तहत एल0 डी0 लागू किया जाता है | संविदा मे निहित एल0 डी0 से संबन्धित प्रावधान के अनुसार कार्य को पूरा करने मे हुई देरी के आधार पर एल0 डी0 लगाई जाती है |
2. एल0 डी0 कैलकुलेशन केवल वह मूल्य जो निर्धारित अवधि के उपरांत पूरा होता है या पूर्ण कार्य के मूल्य पर निर्धारित किया जाता है | जो कार्य समयावधि मे पूरा किया गया हो ?	संविदा मे निहित एल0 डी0 से संबन्धित प्रावधान मे यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित रहता है कि संविदा के किस मूल्य पर एल0 डी0 लागू की जानी है |
3. अगर पावर ग्रिड किसी पार्टी (एजेंसी) को बरसात के ठीक पहले वर्क ऑर्डर (कार्य) देती है और मानसून के ठीक बाद कार्य अवधि पूरी होती है विशेष रूप से कंक्रीट वर्क उसमे बरसात को फोर्स मेजर माना जाएगा या नहीं अगर नहीं तो पानी मे कंक्रीट वर्क की अनुमति पावर ग्रिड द्वारा डी जाती है ?	निविदा प्रपत्र जारी करते समय पावरग्रिड द्वारा निविदा प्रपत्र मे कार्य निष्पादन समय (work completion schedule) दिया जाता है | पार्टी (एजेंसी) द्वारा बिड (Bid) प्रस्तुत करते समय निविदा प्रपत्र मे दिये गए समय की सहमति देने या कोई अन्य कार्य निष्पादन समय देने का विकल्प होता है | वर्क ऑर्डर का अवार्ड निविदा के सापेक्ष आई हुई समस्त Bids का मूल्यांकन, निविदा प्रपत्र मे उल्लिखित प्रावधानों के तहत, (जिसमे कार्य निष्पादन की समय सीमा भी सम्मिलित है) के उपरांत किया जाता है | फोर्स मेजर (Force Maejure) के फलस्वरूप देरी का निर्धारण वर्क ऑर्डर मे निहित प्रावधानों एवं भारत सरकार / पावरग्रिड द्वारा निर्गत दिशा –निर्देशों के तहत किया जाता है |
4. करोना के दौरान केंद्र सरकार ने प्रथम फेस मे छः माह और द्वितीय फेस मे तीन माह को फोर्स मेजर माना है | क्या पावर ग्रिड केवल ट्रांसमिशन लाईन के केश मे ही उसको मानता है या छोटे कार्यों मे भी कोरोना फोर्स माना जाएगा ?	केंद्र सरकार द्वारा जारी परिपत्र जिसका आपने उल्लेख किया है उसे साझा करें, जिससे वांछित जानकारी आपको प्रेषित की जा सके|

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी:
श्री आर० नागपाल
कार्यपालक निदेशक, पावरग्रिड उ0 क्षे0 –3
12, राणा प्रताप मार्ग
द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ तल, लखनऊ – 226001
धन्यवाद,

भवदीय,
राणा प्रताप 01.09.22
[राणा प्रताप]
व. महाप्रबंधक (पी. ई. एस. एम.)
पदांकित सी. पी. आई. ओ. - उ. क्षे. – 3,
पावरग्रिड, लखनऊ